पीठासीन अधिकारियों के लिए जांच सूची

साधारण निर्वाचन **2014**

सूची

संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	नियुक्ति पर	
2.	मतदान दल का प्रशिक्षण	
3.	मतदान के दिन से एक दिन पहले	
4.	मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर आने पर	
5.	मतदान के घण्टे के दौरान	
6.	मतदान शुरू होने से पहले पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा	
7.	मतदान शुरू होने से पहले याद रखे जाने वाली संक्षिप्त महत्वपूर्ण बिंदु	
8.	दृष्टीहीन और शिथिलांग मतदाता तथा प्रोक्सी मतदाता	
9.	प्रोक्सी मतदाताओं द्वारा मतदान	
10.	मतदान नहीं करने का निर्णय लेने वाले निर्वाचक	
11.	नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं)	
12.	निविदत्त मत	
13.	ब्रेल चिह्न	
14.	मतदान के दौरान मतदान कम्पार्टमेंट में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश	
15.	डायरी का रखरखाव	
16.	मतदान का समापन	
17.	किए गए मतों का लेखा	
18.	मतदान समाप्त होने पर की जाने वाली घोषणा	
19.	मतदान समाप्त होने के पश्चात मतदान मशीन को मुहरबन्द करना	
20.	निर्वाचन पत्रों को मुहरबन्द करना	
21.	मतदान पूरा होने के पश्चात	
	अनुलग्नक-1	
	अनुलग्नक-2	

पीठासीन अधिकारी

1. *नियुक्ति पर*

(i) *निर्वाचन ड्यूटी के लिए बुलावा पत्र की प्राप्ति पर आप डीईओ/आरओ द्वारा निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण कक्षाओं में अपनी उपस्थिती सुनिश्चित करें।*

(ii) *निम्नलिखित पेम्फलेटों और बुकलेटों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े*

(क) *पीठासीन अधिकारी के लिए हैंडबुक ,*

(ख) *इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का मैनुअल,*

(ग) *महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए पीठासीन अधिकारी के लिए रिटर्निंग अधिकारी का पत्र।*

(iii) *विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में नामांकन सुनिश्चित करना।*

(iv) *वोटिंग मशीन प्रचालन के साथ पूर्णत: परिचित होना। व्यक्तिगत प्रशिक्षण अनिवार्य हैं।*

(v) *नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर, जिसे मतदान दल के गठन के पश्चात डीईओ द्वारा जारी किया जाएगा, मतदान दल के अन्य सदस्यों के साथ परिचित होना और उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। अनुपस्थित मतदान दल के सदस्य के लिए रिजर्व से स्थानापन्न सुनिश्चित करना।*

(vi) *पीआरओ हस्त-पुस्तिका में दिए गए अनुसार सांविधिक और गैर-सांविधिक विभिन्न प्रपत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।*

(vii) *प्रशिक्षण में बहुत ध्यानपूर्वक भाग लें, इसके कार्य, प्रपत्रों और लिफाफों के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो आरओ/एआरओ से स्पष्ट करा लेना चाहिए।*

(viii) *उचित समय पर डाक मतपत्र/ईडीसी के लिए आवेदन करें।*

(ix) *प्रशिक्षण के समय सुविधा केन्द्र पर "ड्रॉप बॉक्स" में डाक मत पत्र डालें।*

(x) *विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान केन्द्र का नाम और संख्या तथा मतदान केन्द्र के स्थान की जाँच करने के लिए नियुक्ति आदेश की सावधानी पूर्वक जाँच करें।*

(xi) *उस मतदान केन्द्र के मतदान दल के सदस्यों के रुप में मतदान अधिकारियों के नाम की जाँच करें। यदि कोई अनुपस्थित हो तो रिजर्व मतदान कार्मिक में से किसी की नियुक्ति सुनिश्चित करें। उस मतदान केन्द्र के लिए मतदान दल के सदस्यों के साथ संपर्क करें। प्रशिक्षण सत्र में उपस्थिति, अंतिम समय पर ईवीएम संचालन में दक्षता भी सुनिश्चित करती है।*

(xii) *पूर्वनिर्धारित मार्ग और चेक पोस्ट के माध्यम से निर्धारित वाहन में मतदान केन्द्र के लिए रवाना होने में मार्गदर्शन और सहायता हेतु जोनल मजिस्ट्रेट से संपर्क करें ।*

2. *मतदान दल का प्रशिक्षण-*

i. *पीठासीन अधिकारी को आरओ/जिला निर्वाचन अधिकारी से पीआरओ हैंडबुक की अद्यतन प्रति प्राप्त करनी चाहिए और उसे संपूर्ण रुप से पढा जाना चाहिए।*

ii. *पीठासीन अधिकारी मतदान दल का मुखिया है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान दल के सभी सदस्य ईवीएम संबंधी प्रशिक्षण सहित पूर्ण प्रशिक्षित हों।*

3. *मतदान दिवस से पहले वाला दिन*

i. *मतदान दल भेजने के दिन, मतदान केन्द्र पर इस्तेमाल की जाने वाली मतदान सामग्री को एकत्र करना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि-*

(क) *आपके मतदान केन्द्र संबंधी कंट्रोल यूनिट और बैलटिंग यूनिट (यूनिटें) आपको दे दी गई हैं। धातु की पट्टी और चिपकाए गए स्टिकर पर लिखे मशीन नंबर का मिलान करे और ईवीएम स्वीकार करने से पहले मतदान केन्द्र की संख्या की, पता लिखे टैग पर लिखे मतदान केन्द्र संख्या से*

मिलान करके उसकी पुष्टि भी करे। यदि कोई त्रुटि पाई जाए तो इसे डिस्पैच की व्यवस्था करने वाले प्रभारी अधिकारी के ध्यान में लाए और उसका निराकरण करवाएं।

(ख) कंट्रोल यूनिट का 'सी और सेट सेक्शन' विधिवत सील बंद किया गया है और पता लिखा टैग उसके साथ ठीक से बंधा है।

(ग) कंट्रोल यूनिट में बैटरी पूर्णतया कार्यात्मक है। कंट्रोल यूनिट की जांच करने के बाद बैटरी को बंद (स्विच ऑफ) करना याद रखें।

(घ) बैलटिंग यूनिट (यूनिटें) विधिवत सीलबंद की गई है तथा ऊपरी और निचले हिस्से में दाहिनी ओर दोनों पता लिखे टैग ठीक से बंधे हैं।

(ङ) प्रत्येक बैलटिंग यूनिट पर उपयुक्त बैलट पेपर लगाया जाए और यह बैलेट पेपर स्क्रीन के नीचे ठीक से सिधाई में हो।

(च) प्रत्येक बैलटिंग यूनिट में स्लाइड स्विच को उपयुक्त स्थिति में सेट किया गया हो।

(छ) पीठासीन अधिकारी की हैंड बुक में अनुलग्नक-I में उल्लिखित मतदान सामग्री की सारी मदें अपेक्षित मात्रा में दी गई हैं।

(ज) पेपर सीलों की क्रम संख्या की जांच करें।

(झ) निर्वाचक सूची की जांच करे ताकि सुनिश्चित हो-

- अनुपूरक सामग्री की प्रतियां दी गई हैं।
- सूची की भाग संख्या और अनुपूरक सामग्री ठीक से दी गई है।
- सूची की कार्यात्मक प्रतियों में पृष्ठ संख्या क्रमवार दी गई है।
- मतदाताओं के मुद्रित क्रम संख्या में सुधार नहीं किया गया है और उनके स्थान पर कोई नई क्रम संख्या नहीं दी गई है।
- अनुपूरक सामग्री के अनुसार, हटाए गए सभी नामों और लिपिकीय अथवा अन्य तरह की त्रुटियों में किए गए सुधार को शामिल कर लिया गया है।
- उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए टेंडर वोट उपलब्ध होने चाहिए।
- निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन एजेंटों के नमूना हस्ताक्षर की प्रतियां उपलब्ध हों। इससे मतदान केन्द्र पर पोलिंग एजेंट के नियुक्ति पत्र में अभ्यर्थियों के असल हस्ताक्षर की पुष्टि करने में सहायता मिलेगी।
- अनुकृति (डमी) कार्ड बोर्ड ईवीएम, स्टैंप पैड, हरी कागज सील, स्ट्रिप सील, सांविधिक फार्म, वोटरों का रजिस्टर (फार्म 17ए), फार्म 17सी आदि उपबल्ध हों।

(ञ) आपको दी गई निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची की जांच करे। सूची में दिए गए अभ्यर्थियों के नाम और चुनाव चिन्ह में अनुरूपता होना चाहिए और यह उसी प्रकार से क्रमवार होना चाहिए जैसा बैलटिंग यूनिट पर बैलट पेपर में दिखाई देता है।

(ट) जाँच लें कि आपको आपूर्ति की गई अमिट स्याही की शीशी में अमिट स्याही की पर्याप्त मात्रा है और यह भी कि इसका ढक्कन सही तरीके से बंद किया गया है, यदि नहीं किया गया हो तो मोमबत्ती/मोम से ढक्कन को पुनः बंद करें।

(ठ) एरो-क्रॉस मार्क रबड़ स्टेम्प तथा अपने पीतल (ब्रास) की मोहरों की जांच कर लें। यह सुनिश्चित करें कि एरो-क्रॉस मार्क रबड़ स्टेम्प को दोनों ओर से सीलबंद किया गया हो और स्टेम्प पैड सूखा न हो। यदि आपका मतदान केन्द्र किसी अस्थायी संरचना में बनाया जाना प्रस्तावित है तो अपने निर्वाचन पत्रों को रखने के लिए पर्याप्त आकार वाला लोहे का बक्सा प्राप्त करें। यद्यपि निर्वाचन का आयोजन ईवीएम के माध्यम से किया जाता है लेकिन निविद्त्त मतों के लिए इसकी आवश्यकता होती है।

(ड) यदि आपको आपकी आवाजाही, मतदान केन्द्र तक पहुँचने हेतु पालन किए जाने वाले मार्ग के बारे में कोई संदेह है तो इसका निवारण कर लें और मतदान केन्द्र तक पहुँचने संबंधी प्रस्थान समय, स्थान और यातायात साधन के बारे में सुनिश्चित कर लें।

(ढ) यदि आपके मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक होती है तो एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। निर्वाचन सामग्री का संग्रह करते समय उसे साथ लेना न भूलें।

ii. (क) आरओ द्वारा निर्धारित दिन को अपने मतदान केन्द्र पर पहुँचें और सुनिश्चित कर लें कि-

- मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं को इंतजार करने तथा पुरुष और महिला मतदाताओं के लिए अलग से कतारबद्ध करने हेतु पर्याप्त स्थान हो,
- मतदाताओं के लिए प्रवेश और प्रस्थान के लिए अलग मार्ग हो,
- अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था हो,

- *मतदान क्षेत्र तथा मतदाताओं का विवरण दर्शाने वाला एक नोटिस बोर्ड स्पष्ट रुप से प्रदर्शित किया जाए।*
- *निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची की प्रति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए।*

(ख) *महिला मतदाताओं के बडी संख्या के मामलों में आरओ द्वारा महिला सहायिका की नियुक्ति की जा सकेगी। उसकी उपलब्धता के आदेश प्राप्त करें और उसकी जाँच करें एवं महिला मतदाताओं को पहचानने में उसकी मदद लें। यदि आपके मतदान केन्द्र पर तैनात कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहता है तो आप महिला सहायिका सहित ऐसे मतदान अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं और तदनुसार डीईओ को सूचित करें।*

(ग) *यह निर्णय लें कि आप, आपके मतदान अधिकारी और मतदान एजेंट कहाँ बैठेंगे तथा मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट को कहाँ स्थापित करेंगे।*

(घ) *मतदान केन्द्र में टंगे किसी राजनीतिक दल से संबंधित किसी नेता के चित्र को हटा दें अथवा इसे पूर्ण रुप से ढक दें।*

iii. *आपको सौंपी गई वोटिंग मशीन और मतदान सामग्री मतदान पूरा होने तक हर समय आपके जिम्मे रहनी चाहिए और आपके द्वारा, वोटिंग मशीन तथा आपको सौंपी गई मतदान सामग्री वापस की जाएगी। आपके मतदान केन्द्र पर पहुँचने के समय से ही वोटिंग मशीन और मतदान सामग्री आपके या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारियों में से किसी एक के अधिकार में रहेगी। वोटिंग मशीन और मतदान सामग्री को, आपके अथवा आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारी के अलावा मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिस गार्ड अथवा किसी अन्य व्यक्ति के जिम्मे नहीं छोड़ना चाहिए।*

iv. *यदि आप किसी ऐसे भवन में स्थित मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी हैं, जहाँ दो मतदान बूथ हैं, तो आपको आपके भाग के निर्वाचकों की वर्णानुक्रमिक सूची उपलब्ध कराई जाएगी।*

v. *अनुपस्थित/गायब मतदाताओं, संचार योजना एवं संवेदनशील मतदान केन्द्र/हेमलेटों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।*

vi. *मतदान बूथ पर उपस्थित होने पर मतदान क्षेत्र तथा निर्दिष्ट निर्वाचकों की संख्या दर्शाने वाला नोटिस और निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची की प्रति भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।*

vii. *मतदाताओं की पहचान सुविधा के लिए रेफरल इमेज शीट भी उपलब्ध कराई जाएगी।*

4. *मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर आने पर*

i. *मतदान केंद्र पर पहुंचने पर पीठासीन अधिकारी को दौरा करना चाहिए और इसकी 200 मीटर की परिधि के बारे में पता लगाना चाहिए।*
ii. *यदि आपके दल से कोई सदस्य उपस्थित नहीं होता है तो एक मतदान अधिकारी को नियुक्त करने की व्यवस्था करें।*
iii. *मतदान कक्ष में टेबल पर बैलट यूनिट रखा जाएगा। मतदान कक्ष को टेबल से पर्याप्त दूरी पर स्थित होना चाहिए जहां कंट्रोल यूनिट को रखा जाएगा।*
iv. *बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच अंत:संयोजक केबल पर्याप्त लंबाई वाली होती है इसलिए इस तरह रखा जाना चाहिए ताकि यह मतदान केन्द्र के भीतर मतदाताओं की आवाजाही में बाधा उत्पन्न न करे।*
v. *संयोजक केबल को मतदान कक्ष के नीचे एक छेद के माध्यम से मतदान कक्ष के पीछे से अथवा इसके पीछे के भाग से आना चाहिए। तथापि, मतदान कक्ष में इस छेद को इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वह मतदान की गोपनीयता को भंग करता हो।*
vi. *मतदान कक्ष में ईवीएम को रखते समय इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति केबल को छेड़ न सके। मतदान कक्ष को मतदान केन्द्र की खिड़की अथवा दरवाजे के निकट नहीं होना चाहिए ताकि मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।*
vii. *पीठासीन अधिकारी को सीपीएफ/राज्य पुलिस कार्मिक/होमगार्ड की तैनाती की जांच करके इस परिधि के भीतर मतदान केन्द्र की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।*
viii. *मतदाताओं के लिए प्रवेश और प्रस्थान अलग-अलग होना चाहिए। यदि मतदान कक्ष में एक ही दरवाजा होता है तो दरवाजे के ठीक बीच में बांस और रस्सी की सहायता से मतदान केन्द्र के लिए अलग से प्रवेश और प्रस्थान सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।*

ix. *मतदान अधिकारियों और अभिकर्ताओं को इस तरह से बैठना चाहिए कि उन्हें मतदाता द्वारा बैलेट यूनिट और खास बटन को दबाते हुए वास्तव में डाले गए मत को देखने का कोई अवसर प्राप्त न हो सके।*

x. *मतदान केन्द्र के कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।*

xi. *मतदान केन्द्र के बाहर इंतजार करने हेतु मतदाताओं के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।*

xii. *जहां तक व्यवहार्य हो पुरूष और महिलाओं के लिए अलग से प्रतीक्षालय होना चाहिए।*

xiii. *मतदान अभिकर्ताओं को इस प्रकार बैठना चाहिए कि वे मतदान केन्द्र में प्रवेश करते समय ही निर्वाचक के चेहेरे को साफ-साफ देख सकें और प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान की जा सके ताकि वे निर्वाचक की पहचान को चुनौती दे सके। वे पीठासीन अधिकारी की टेबल अथवा तृतीय मतदान अधिकारी की टेबल, जहां कंट्रोल यूनिट को रखा जाता है, पर हो रही सारी गतिविधियों को देख सकें और प्रवेश से प्रस्थान तक निर्वाचक की गतिविधि को देख सकें।*

xiv. *यदि मतदान केन्द्र में महिला निर्वाचकों की बड़ी संख्या हो तो उनकी निजता, मर्यादा और शालीनता का सम्मान करते हुए अलग से उनकी पहचान और अमिट स्याही लगाने हेतु विशेष व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारी उनकी पहचान में सहायता करने हेतु स्थानीय उपलब्ध महिला को नियुक्त कर सकते हैं।*

xv. *यदि एक ही भवन में एक से ज्यादा मतदान केन्द्र स्थित हैं तो पीठासीन अधिकारी को यह संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि मतदाताओं को अलग-अलग करने और बिना किसी उलझन की स्थिति बनाए, प्रत्येक मतदान केन्द्र के सामने विभिन्न स्थानों पर उनको इंतजार करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।*

xvi. *पीठासीन अधिकारी को यह अवश्य जान लेना चाहिए कि मतदान केन्द्र और* **200** *मीटर तक के चारों ओर का क्षेत्र उसके नियंत्रण में है।*

xvii. *प्रचार हेतु राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के पोस्टरों को हटाया जाना सुनिश्चित करें।*

xviii. *नेता के फोटो अथवा किसी राजनैतिक दल के प्रतीक अथवा निर्वाचन पर प्रभाव डालने वाले नारों (स्लोगनों) को प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए और यदि वे वहां पहले से हैं तो उन्हें तत्काल मतदान पूरा होने तक हटा दिया जाना चाहिए।*

xix. *मतदान केन्द्र के भीतर खाना पकाने अथवा किसी भी उद्देश्य के लिए आग जलाने हेतु अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।*

xx. *मतदान क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने वाला नोटिस और मतदान केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले निर्वाचकों के विवरण और फार्म* **7***-ए में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची भी प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए।*

xxi. *जहां तक व्यवहार्य हो फार्म* **7***-ए में प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रतीक की अनुकृति भी प्रदर्शित की जानी चाहिए।*

xxii. *भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं हेतु मतदान केन्द्र पर बैठने के क्रम को प्राथमिकताओं के निम्नलिखित वर्गीकरणों द्वारा मार्ग निर्देशित किया जाएगा, अर्थात –*

- **(क)** *मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी*
- **(ख)** *मान्यताप्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थी*
- **(ग)** *अन्य राज्यों के मान्यताप्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थी, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में अपने आरक्षित प्रतीक का उपयोग करने हेतु अनुमति प्राप्त हुई है।*
- **(घ)** *रजिस्ट्रकृत गैर मान्यताप्राप्त दलों के अभ्यर्थी*
- **(ङ)** *स्वतंत्र अभ्यर्थी*

xxiii. *पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को सहायता करने हेतु* **200** *मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि को बैठने की अनुमति नहीं देगा। पीठासीन अधिकारी को उस परिसीमा के भीतर टेंट और कुर्सियों को हटा देना चाहिए।*

xxiv. *मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी प्रकार का हथियार नहीं ले जाया जाएगा।*

xxv. *यह सुनिश्चित करें कि आप और आपके मतदान दल के अन्य सदस्य मतदान शुरू होने हेतु निर्धारित समय से* **75** *मिनट पहले मतदान केन्द्र पर पहुंच जाएं। वोटिंग मशीन और मतदान सामग्री प्राप्त करने पर उनकी जांच करें।*

xxvi. *मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों की जांच करें और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के प्रावधानों के विषय में पूरी जानकारी दें। उन्हें बैठनें का स्थान दें और उनकी आवाजाही के लिए प्रवेश पत्र जारी करें।*

xxvii. *यह सुनिश्चित करें कि आपके मतदान केन्द्र पर नियुक्त मतदान अभिकर्ता उसी मतदान केन्द्र के मतदाताओं की सूची में नामांकित हों और उनके पास ईपीआईसी हो। मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति से संबंधित अद्यतन ईसीआई निर्देशों का भी पालन करें।*

5. *मतदान अवधि के दौरान*

सुनिश्चित करें कि मतदान नियत समय पर शुरू हो। भले ही सभी औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया हो, फिर भी नियत समय पर मतदान केंद्र में मतदाताओं को आने दिया जाए।

6. *पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारंभ होने से पहले घोषणा*

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारंभ होने से पहले अनुबंध XXXIII *में आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा पढ़ना आवश्यक होता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र में मौजूद सभी लोगों के लिए जोर से घोषणा पढ़ कर सुनानी चाहिए और घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए। उन्हें वहाँ उपस्थित उन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेने चाहिए जो हस्ताक्षर करने पर सहमत हों और उन्हे संलग्न करना चाहिए। यदि कोई मतदान अभिकर्ता इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो पीठासीन अधिकारी को उस घोषणा में उस मतदान अभिकर्ता का नाम दर्ज कर देना चाहिए।*

मतदान की गोपनीयता के बारे में चेतावनी

मतदान शुरू करने से पहले, पीठासीन अधिकारी को मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के बारे में सभी उपस्थितों को उनके कर्तव्य के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के सभी वर्तमान प्रावधानों को समझाना चाहिए और उन्हें उसके किसी उल्लंघन के लिए दंड की भी चेतावनी देनी चाहिए।

आयोग द्वारा यथा निर्धारित दौरा विवरणिका को अनुरक्षित करना चाहिए।

7. *मतदान शुरु होने से पहले याद रखे जाने वाले संक्षिप्त महत्वपूर्ण बिन्दु*

पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र का संपूर्ण प्रभारी होता है। उनके कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-

i. *बैलेट यूनिट को उनके संबंधित मतदान कक्ष में रखें; किसी भी मामले में बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट को फर्श पर नहीं रखा जाना चाहिए। इसे एक मेज पर रखा जाना चाहिए।*

ii. *बैलेट यूनिट को उनके संबंधित नियंत्रण इकाइयों के साथ कनेक्ट करें;*

iii. *पॉवर स्विच ऑन करें;*

iv. *उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा पहले वोटिंग मशीनों को चला कर दिखाएँ कि वोटिंग मशीन सही है और कोई भी मतदान नहीं किया गया है,*

v. *यह सुनिश्चित करने के लिए मॉक पोल करें कि किसी अभ्यर्थी विशेष के लिए वोट डाला गया मत वास्तव में उनके पक्ष में ही गिना गया है;*

vi. *सबसे पहले लोक सभा निर्वाचन के लिए तैयार कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट (यूनिटों) का प्रयोग करते हुए लोक सभा निर्वाचन के लिए मॉक पोल करें;*

vii. *तत्पश्चात विधान सभा निर्वाचन के लिए तैयार कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट (यूनिटों) का प्रयोग करते हुए विधान सभा निर्वाचन के लिए मॉक पोल करें;*

viii. *यह सुनिश्चित करें कि लोक सभा निर्वाचन के लिए कंट्रोल यूनिट में निर्धारित ग्रीन पेपर सील पर यथा उपस्थित लोक सभा अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता ही अपना हस्ताक्षर करें और इसी तरह, विधान सभा निर्वाचन के लिए कंट्रोल यूनिट में निर्धारित ग्रीन पेपर सील पर विधान सभा निर्वाचन के अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता ही अपना हस्ताक्षर करें।*

ix. *देखें कि निर्वाचन, जिसके लिए बैलट यूनिट को अन्दर रखा गया है, को स्पष्ट रुप से दर्शाने हेतु मतदान कक्ष की व्यवस्था बाहर उपयुक्त पोस्टर चिपका कर की गई है।*

x. *सुनिश्चित करें कि उनके संबंधित कंट्रोल यूनिटों के साथ बैलेट यूनिट कनेक्ट करने हेतु केबल को इस तरह से रखा गया है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र के अंदर अपने मतदान करने के दौरान उन्हें पार करने की आवश्यकता न रहे। साथ ही केबल की पूरी लंबाई मतदान अभिकर्ताओं के सामने दिखाई देनी चाहिए।*

xi. *सुनिश्चित करें कि मतदान दल के सभी सदस्य निर्वाचन प्रारंभ होने से पहले अच्छी तरह अपना स्थान ग्रहण कर लें और निर्धारित समय पर मतदान शुरू करने हेतु सभी सामग्री और रिकॉर्ड तैयार रखे जाएं।*

xii. *मतदान दल के किसी भी सदस्य या किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र के अंदर घूमने से रोकना और उन्हें आवंटित स्थान पर ही बैठाए रखना:*

xiii. *मतदान के दौरान मतदाताओं की आवाजाही पर कड़ी निगाह रखना और सतर्कता और चौकसी भी रखनी चाहिए ताकि कोई मतदाता दोनों निर्वाचन या किसी एक निर्वाचन में बिना मतदान किए न जाए।*

xiv. *सुनिश्चित करें कि निर्वाचन के पहले घंटे के दौरान, जब मतदान आम तौर पर तेज होता है, मतदान दल का कोई भी सदस्य अपने आवंटित कर्तव्यों में कोई ढिलाई ना बरते।*

xv. *यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कंट्रोल यूनिट के योग की आवधिक जांच करते रहे कि मतदान यथा निर्धारित क्रम में चल रहा है।*

xvi. *यह सुनिश्चित करें कि एक साथ निर्वाचन में संसदीय निर्वाचन के लिए 17सी प्रपत्र की प्रतियां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों के मतदान अभिकार्ताओं और विधान सभा निर्वाचन के लिए 17सी प्रपत्र की प्रतियां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों के मतदान अभिकार्ताओं को ही दी गई हैं।*

xvii. *यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर मतदान यूनिट की जांच करें कि मतदाता ने किसी भी रूप में इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। मतदान समापन के लिए निर्धारित अवधि के समय से पहले कतार में खड़े मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।*

xviii. *मतदान के दौरान, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जिससे नई वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाना आवश्यक हो सकता है, ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा गोपनीयता की घोषणा को पढ़ कर पुनः सुनाने की आवश्यकता होगी।*

xix. *वह अमिट स्याही के सही ढंग से लगाया जाना सुनिश्चित करेगा।*

xx. *वह निम्नलिखित रूप में मतदान अधिकारियों के कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करेगा - निर्वाचक की पहचान और ईपीआईसी अथवा ईसीआई द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की सहायता से निर्वाचक नामावली में उसके नाम को ढुंढना।*

xxi. *सांख्यिकी पीएसओ 5 प्रपत्र के उद्देश्यों के लिए नामावली में उचित मार्किंग।*

xxii. *मतदाता रजिस्टर अर्थात फार्म 17ए में उचित प्रविष्टि और फिर मतदाता पर्ची जारी करना।*

xxiii. *यह सुनिश्चित करना कि अमिट स्याही लगाने के बाद के पर्याप्त समय बीत गया हो ताकि जब मतदाता मतदान केंद्र से बाहर निकले तब तक चिह्न सूख जाए।*

xxiv. *मतदान अधिकारी को मतदाताओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी होगी और सतर्क और चौकस रहना होगा ताकि कोई मतदाता मतदान के बिना बाहर न जाए।*

xxv. *निर्वाचन समाप्त होने के समय पहले से ही कतार में खड़े मतदाताओं को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मतदान समापन की निर्धारित अवधि के समय अंतिम मतदाता को पर्ची जारी करके मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।*

xxvi. *मतदान जारी रहने के दौरान, असामान्य जटिल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्हें आप स्वयं निपटाएंगे और मतदान अधिकारियों को उनके सामान्य कर्तव्यों के निर्वाह करने हेतु छोड़ देंगे। ऐसे मामले निम्नानुसार होंगे-*

(क) *मतदाता पर आपत्ति* (*अध्याय* XVIII),

(ख) *नाबालिगों द्वारा मतदान* (*अध्याय* XVIII),

(ग) *दृष्टीहीन या शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान* (*अध्याय* XXII)

(घ) *मतदाताओं द्वारा मतदान नहीं करने का निर्णय लेना* (*अध्याय* XXIII),

(ङ) *निविदत्त मत* (*अध्याय* XXVII),

(च) *मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन* (*अध्याय* XXI),

(छ) *बूथ से अशिष्ट आचरण वाले व्यक्तियों को हटाना* (*अध्याय* XVII),

(ज) *दंगा या किसी अन्य कारण की वजह से निर्वाचन का स्थगन* (*अध्याय* XXVIII)।

xxvii. *पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता और ईसीआई की अनुमति वाले अधिकारियों को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति मतदान बूथ में प्रवेश न करें।*

xxviii. *पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी मतदाता बूथ के अंदर मोबाइल फोन न लाए। यहाँ तक कि मतदान कर्मियों के भी मोबाइल फोन मतदान केंद्र के अंदर स्वीच ऑफ होने चाहिए।*

xxix. *ऐसे मतदाता जिनके नाम एएसडी सूची में शामिल हैं, की उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपने मतदान अधिकारी को निर्देश दें।*

xxx. *रजिस्टर* 17*-ए की प्रविष्टी के अनुसार क्रमवार रुप में मतदाताओं की तस्वीरें लेने के लिए वीडियो कैमरा पर्यवेक्षक को निर्देश दें।*

xxxi. *मतदान कक्ष के अंदर न जाएं, अपरिहार्य परिस्थितियों में आपको जाना हो तो मतदान अभिकर्ता को साथ ले जाएं।*

xxxii. *मतदान के संबंध में हर दो घंटे के बारे में अपनी डायरी की मद* 18 *के संकलन हेतु सांख्यिकीय सूचना संग्रह करें।*

xxxiii. *नियत समय पर मतदान बंद करें भले ही वह देर से शुरू किया गया हो। उन लोगों को जो इस समय कतार में खड़े हैं, को अपने हस्ताक्षर के साथ पर्ची दें। सुनिश्चित करें कि कोई अतिरिक्त व्यक्ति नियत घंटे के बाद कतार में खड़ा न हो।*

xxxiv. *शारीरिक रूप से विकलांग मतदाताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।*

xxxv. *यदि कोई मतदाता ईवीएम पर मतदान करने के बारे में जानना चाहता हो तो उसे डमी बैलेट यूनिट पर समझाएं।*

8. *दृष्टिहीन और शिथिलांग मतदाताओं और प्रॉक्सी मतदाताओं द्वारा मतदान*

i. *यदि पीठासीन अधिकारी संतुष्ट होता है कि दृष्टिहीनता और अन्य शारीरिक दुर्बलता के कारण एक निर्वाचक बैलट यूनिट पर प्रतीक को पहचानने या बिना सहायता के उचित बटन दबाकर उस पर अपना मत दर्ज करने में असमर्थ होता है तो पीठासीन अधिकारी* 49*एन नियम के तहत निर्वाचक को उनकी ओर से और उनकी इच्छानुसार मतदान करने हेतु मतदान कक्ष में एक सहायक, जिसकी उम्र* **18** *वर्ष से कम न हो, को ले जाने की अनुमति देगा।*

ii. *किसी भी व्यक्ति को एक ही दिन में किसी भी मतदान केंद्र पर एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।*

iii. *किसी भी व्यक्ति को मतदाता के सहायक के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से पहले, उसे घोषणा करनी होगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा दर्ज मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने इससे पहले उस दिन किसी अन्य मतदान केंद्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है। अनुबंध* XXXIV *के माध्यम से पीठासीन अधिकारी इन उद्देश्यों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सहायक से घोषणा प्राप्त करेगा।*

iv. *पीठासीन अधिकारी को फार्म* 14*ए में इस तरह के सभी मामलों का रिकार्ड भी रखना होगा।*

9. *परोक्षी (प्रॉक्सी) मतदाताओं द्वारा मतदान*

i. *परोक्षी मतदाता, मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक को सौंपे गए अनुसार ही, मतदान केन्द्र पर वर्गीकृत सर्विस मतदाता (CSVs) की ओर से मतदान करेगा जिसे सीएसवी सौंपा गया है।*

ii. *यह ध्यान रहे कि परोक्षी के मामले में नियम 37 के तहत अमिट स्याही को परोक्षी के बाएं हाथ की बीच की उंगली पर लगाया जाएगा।*

iii. *परोक्षी अपने नाम का मतदान करने के अतिरिक्त सीएसवी, जिसके मतदान का जिम्मा उसे सामान्य रूप से सौंपा गया है, की ओर से भी मतदान करने का हकदार होगा यदि वह मतदान केंद्र पर निर्वाचन क्षेत्र में एक पंजीकृत मतदाता है।*

10 *मतदाताओं द्वारा मत नही डालने का निर्णय*

i. *यदि एक निर्वाचक, मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 17ए) में उसकी निर्वाचक नामावली संख्या दर्ज होने और रजिस्टर पर उनके हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान दिए जाने के बाद, अपना मत दर्ज नहीं करने का फैसला करता है, तो उसे अपना मत डालने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।*

ii. *पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टी के सामने के टिप्पणी वाले कॉलम में उसके द्वारा मतदान नहीं करने के निर्णय के संबंध में इस आशय की एक टिप्पणी लिखी जाएगी और नियम 49-ओ के तहत निर्वाचक के अंगूठे का निशान अथवा हस्ताक्षर लिया जाएगा। हालांकि, निर्वाचक अथवा मतदाता रजिस्टर के कॉलम 1 में दर्ज पहले के निर्वाचकों की अथवा बाद के निर्वाचकों की क्रम संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्कता नहीं होगी।*

11. *नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं)*

यदि कोई निर्वाचक, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों में से किसी के लिए मतदान नहीं करने का विकल्प चुनना चाहता हो तो वह "नोटा- ऊपर्युक्त में से कोई नहीं" का विकल्प चुन सकता है। यह बटन निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के पैनल के नीचे बैलेटिंग यूनिट के रूप में निचला बटन होगा। यदि कोई निर्वाचक नोटा के बारे में जानना चाहता हो तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को समझाएगें और उसे अपना मत देने की अनुमति देंगे।

12. *निविदत्त मत*

i. *यदि एक व्यक्ति मतदान केंद्र पर खुद को एक ऐसे निर्वाचक / व्यक्ति के रुप में प्रस्तुत करता है जिसने पहले ही मतदान कर लिया हो तो ऐसे निर्वाचक के मामले में पीठासीन अधिकारी संबंधित निर्वाचक की पहचान के बारे में जाँच करेगा।*

ii. *यदि अपनी पहचान के संबंध में पूछे गए प्रश्नों, जिसे पीठासीन अधिकारी पूछ सकता है, के बारे में उसके संतोषजनक उत्तर देने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचक के उत्तर से संतुष्ट हो जाता है, वह संबंधित निर्वाचक को मशीन से मतदान करने के स्थान पर निविदत्त मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की अनुमति देगा।*

iii. *नियम 49पी के तहत, निविदत्त मतपत्र का डिजाइन और उसके ब्यौरे की भाषा ऐसी होगी जैसा निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करेगा। निर्वाचन आयोग ने उस नियम के तहत विनिर्दिष्ट किया है कि बैलेट मतपत्र उसी डिजाइन में होंगे जैसा कि मतदान केन्द्र पर वोटिंग मशीन की बैलेट यूनिट पर प्रदर्शित करने हेतु उपयोग किया जाएगा। इसके पिछली ओर 'निविदत्त मतपत्र' की मुहर लगाई जाएगी।*

iv. *पीठासीन अधिकारी सभी मतपत्र का सही लेखा रखेगा (i) निविदत्त मतपत्र के रुप में उपयोग के लिए उनके द्वारा प्राप्त, (ii) निर्वाचकों के लिए इस तरह से जारी और (iii) उपयोग नहीं हुए मतपत्रों को प्रपत्र 17सी के भाग-। की मद 7 में आरओ को लौटा देगा।*

v. *पीठासीन अधिकारी भी फार्म 17बी में मतदाताओं को जारी किए गए निविदत्त मतपत्रों का रिकार्ड रखेंगे। वह निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र देने से पहले उस फार्म के कॉलम 5 में निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा।*

vi. *निविदत्त मतपत्र प्राप्त करने पर, संबंधित निर्वाचक जिसे भी मत देना चाहता है उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर अथवा निकट क्रॉस चिह्न 'X' बनाकर मतदान कक्ष में अपना मतदान करेगा । उसे एरो क्रॉस मार्क रबड़ स्टेम्प, जिसे ऐसे बैलेट मतपत्र को मार्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ मतपत्र की पारंपरिक प्रणाली और मतदान बक्से का इस्तेमाल किया जाता है, द्वारा क्रॉस मार्क करना चाहिए।*

vii. *यदि दृष्टीहीनता अथवा किसी शारीरिक दुर्बलता के कारण ऐसे निर्वाचक किसी की सहायता के बिना अपना मतदान करने में असमर्थ हैं, तो पीठासीन अधिकारी ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उसके साथ एक साथी को जाने की अनुमति देगा।*

13. *ब्रेल चिह्न*

i. *वर्ष 2006-07 में खरीदे गए ईवीएम के नए मॉडल में अभ्यर्थी की क्रम संख्या का संकेत दर्शाते हुए बैलेट यूनिट के एकदम दाहिनी ओर पर एक ब्रेल चिह्न है।*

ii. *आयोग द्वारा आवश्यकता अनुभव किए जाने के आधार पर मतदान केंद्रों को अभ्यर्थियों के नाम, उनके राजनीतिक जुड़ाव और क्रम संख्या वाले डमी मतपत्र की आपूर्ति की जाएगी।*

iii. *पीठासीन अधिकारी, दृष्टीहीन मतदाता के अनुरोध पर उसे अपनी पसंद के अभ्यर्थी की क्रम संख्या को नोट करने के लिए डमी बैलेट शीट देंगे ताकि वह साथी पर बिना निर्भर रहे ब्रेल चिह्न की मदद से स्वयं मतदान कर सके ।*

iv. *सुनिश्चित करें कि डमी मतपत्र, समान दृष्टिहीन मतदाताओं द्वारा बाद में उपयोग के लिए पीठासीन अधिकारी को लौटा दी जाए। मतदान के अंत में डमी मतपत्र को अन्य मतदान सामग्री के साथ संग्रह केंद्र में जमा कराया जाएगा।*

14. *मतदान के दौरान मतदान कक्ष में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश करना*

i. *पीठासीन अधिकारी को संदेह या संदेह करने का कारण हो सकता है कि जांचे गए मतदान कक्ष में रखा बैलेट यूनिट ठीक से कार्य नहीं कर रहा है या कि एक निर्वाचक, जिसने मतदान कक्ष में प्रवेश किया है, बैलेट यूनिट के साथ छेड़छाड़ अथवा अन्यथा हस्तक्षेप कर रहा है या मतदान कक्ष के अंदर अनावश्यक रूप से लंबी अवधि तक रहा है। ऐसे मामले में पीठासीन अधिकारी को नियम 49क्यू के तहत मतदान कक्ष में प्रवेश करने और आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है ताकि सुनिश्चित हो सके कि बैलेट यूनिट के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है अथवा किसी भी तरह से दखल नहीं दिया गया है और निर्वाचन सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से चल रहा है।*

ii. *जब भी पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष में प्रवेश करते हैं, उनको उपस्थित मतदान अभिकर्ता को अपने साथ आने की अनुमति देनी चाहिए, यदि वे ऐसा चाहते हैं।*

15. *डायरी का रखरखाव:*

i. *पीठासीन अधिकारी एक डायरी रखता है जिसमें उसे मतदान केंद्र में मतदान से जुड़ी कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना चाहिए। पीठासीन अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली डायरी का प्रोफार्मा अनुबंध- XXXV पर दिया गया है। उन्हें डायरी में सभी प्रासंगिक घटनाओं के रिकॉर्ड करना चाहिए, जब भी वे घटित होती हैं ।*

ii. *पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान हर समय सभी बिंदुओं पर डायरी के उचित रखरखाव में उनकी ओर से किसी भी चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।*

16. *मतदान समाप्ति*

i. *पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान निर्धारित मतदान प्रक्रियाओं के अनुसार नियत समय की समाप्ति पर बंद कर दिया गया है,। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार अंतिम मतदाता द्वारा मतदान करने के पश्चात, उन्हें दोनों निर्वाचनों के लिए कंट्रोल यूनिट का क्लोज*

बटन दबाना चाहिए। दोनों निर्वाचनों के लिए निर्धारित फार्म ध्यानपूर्वक और विधिवत रुप से भरे जाने के पश्चात, उन्हें कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट के संपर्क को काट देना चाहिए और उन्हें उनके संबंधित बॉक्स में सील करना चाहिए। एक साथ निर्वाचन के मामले में, कागजातों को अलग-अलग तैयार और अलग से सील किया जाना चाहिए।

ii. *एक साथ निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी यूनिटों के बॉक्स के बाहर संबंधित निर्वाचन का पहचान स्टिकर प्रमुखता से चिपकाना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को उनके संबंधित बाक्स में ही अच्छी तरह निर्वाचन पहचान लेबल चिपका कर रखा गया है। इसके अलावा, उन्हे संबंधित बाक्स पर विधिवत रुप से भरे हुए सही रंग (लोक सभा निर्वाचन के लिए सफेद और विधान सभा निर्वाचन के लिए गुलाबी) के पते वाला टैग लगाना चाहिए।*

iii. *पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वागत केन्द्र पर रिटर्निंग अधिकारी को सभी सीलबंद यूनिटों और निर्वाचन रिकॉर्डों को विधिवत रुप से सौंपे।*

17. *दर्ज मतों का लेखा*

i. *मतदान की समाप्ति के पश्चात, नियम 49एस के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी को वोटिंग मशीन में दर्ज मतों का लेखा तैयार करना चाहिए। ऐसे लेखों को फार्म-17सी के भाग- I में तैयार किया जाएगा। इन्हे दो प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फार्म-17सी के भाग-I में मतों के लेखों को संसदीय और विधान सभा निर्वाचनो के लिए अलग से तैयार किया जाए।*

ii. *आपके मार्गदर्शन के लिए अनुबंध-XXXVI पर फार्म-17सी के भाग- I में यथा तैयार दर्ज मतों का एक नमूना लेखा दिया गया है।*

iii. *नियम 49एस के तहत, मतदान समाप्ति के पश्चात उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ताओं को पीठासीन अधिकारी द्वारा उनसे रसीद प्राप्त करने के बाद फार्म-17सी में उनके द्वारा यथा तैयार दर्ज मतों की लेखा की एक सही और सत्यापित प्रति भी देने की आवश्यकता होती है। विधान सभा निर्वाचन के लिए लड़ रहे अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं को विधान सभा क्षेत्र के लिए तैयार मतों की लेखा की प्रति और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लड़ रहे अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार मतों की लेखा की प्रति दी जानी चाहिए। लेखा की प्रतियां उपस्थित हर मतदान अभिकर्ता को उनके बिना कहे भी दी जानी चाहिए।*

18. *निर्वाचन समापन के समय की जाने वाली घोषणा*

i. *यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि मतदान अभिकर्ताओं द्वारा दर्ज मतों की लेखा की प्रतियाँ प्रस्तुत करने से संबंधित नियम 49एस की उपर उल्लिखित आवश्यकताओं को पीठासीन अधिकारी द्वारा पूरा कर लिया गया है, आयोग ने एक घोषणा (भाग III, अनुबंध- XXXIII) तैयार किया है, जिसे मतदान की समाप्ति के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।*

19. *मतदान समाप्ति के पश्चात वोटिंग मशीन को सील करना*

i. *मतदान समाप्ति और फार्म 17सी में वोटिंग मशीन में दर्ज मतों का लेखा तैयार कर लेने एवं मौजूद मतदान अभिकर्ताओं को इसकी प्रतियाँ प्रस्युत करने के पश्चात, वोटिंग मशीन को सील करना चाहिए और उन्हे गिनती / संग्रह केंद्र तक ले जाने हेतु सुरक्षित किया जाना चाहिए।*

ii. *वोटिंग मशीन को सील और सुरक्षित करने के लिए, बैलेट यूनिट (यूनिटों) और कंट्रोल यूनिट का संपर्क काट देना चाहिए तथा कंट्रोल यूनिट में पावर स्विच 'ऑफ' कर देना चाहिए। बैलेट यूनिट (यूनिटों) और कंट्रोल यूनिट उनके संबंधित बॉक्स में वापस डाल दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात बॉक्स को धागों के माध्यम से बॉक्स के दोनो किनारों पर बने छेद में से धागों को घुसा कर और निर्वाचन तथा मतदान केन्द्र का विवरण दिखाने वाले एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी की सील सहित धागा सील लगा कर सील कर देना चाहिए चाहिए। एड्रेस टैग का विवरण अध्याय-XII*

के पैरा 16.2 *में उल्लेखानुसार समान होगा। मौजूद अभ्यर्थी या उनके पोलिंग एजेंट, जो इस पर सील लगाने के लिए इच्छुक हो, को भी ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।*

iii. *घोषणा में पीठासीन अधिकारी द्वारा उन अभ्यर्थियों/ मतदान अभिकर्ताओं का नाम भी नोट किया जाना चाहिए, जिन्होंने बैलेट यूनिट (यूनिटों) और कंट्रोल यूनिट पर अपना सील लगाया है, जिसे पीठासीन अधिकारी अनुबंध-* XXXIII *के भाग-*IV *के मध्यम से मतदान की समाप्ति पर तैयार किया जाता है।*

(20) *निर्वाचन पत्रों को सीलबंद करना*

(i) *मतदान की समाप्ति के पश्चात मतदान से संबंधित सभी निर्वाचन पत्रों को पीठासीन अधिकारी द्वारा नियम* **49***यू के प्रावधानों के अनुसार सीलबंद किया जाना चाहिए।*

(ii) *निर्वाचन पत्रों वाले प्रत्येक पैकेट को पीठासीन अधिकारी की सील से सीलबंद किया जाएगा। मतदान केन्द्र पर उपस्थित अभ्यर्थियों अथवा उनके एजेंटों को भी ऐसे पैकेटों पर अपनी मोहर लगाने की अनुमति दी जाएगी, यदि वे ऐसा चाहते हैं।*

(21) *मतदान पूरा होने के पश्चात*

(i) *अध्याय* XXIX *और* XXXI *में दिए गए निर्देशों के अनुसार वोटिंग मशीन को बंद एवं सील करें। ईवीएम को सील करने के पहले कंट्रोल यूनिट की बैटरी का स्विच ऑफ करना अवश्य याद रखें।*

(ii) *महिला मतदाताओं, जिन्होंने मतदान किया है, की संख्या निकाल लें।*

(iii) *फार्म* **17** *सी भरें (रिकार्ड मतों का लेखा और पेपर सील लेखा)। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित प्रत्येक मतदान एजेंट को अध्याय* XXX *में संदर्भित घोषणा फार्म में उनसे पावती लेकर फार्म* **17***सी की एक सत्यापित प्रति दें। तत्पश्चात अन्य मामलों में घोषणा को पूरा करें। यदि ईवीएम और मतदाता रजिस्टर में दर्ज किए गए मतदान की संख्या में कोई अंतर आता है तो सेक्टर/जोनल अधिकारी और आरओ को अवश्य सूचित करें।*

(iv) *अपनी पीठासीन अधिकारी की डायरी को पूरा करें। सभी मदों को भरा जाना चाहिए। यदि मतदान बूथ में कोई घटना घटित होती है तो उसे डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी की हैंडबुक में दिए गए फार्मेट* **15** *को भरें अर्थात प्रेक्षक (आब्जर्वर) को पीआरओ की अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।*

(v) *अध्याय* XXXII *में दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी निर्वाचन पत्रों को सील करें।*

(vi) *पांच सांविधिक कवरों का पहला पैकेट तैयार करें।*

(vii) *ग्यारह गैर-सांविधिक कवरों (लिफाफों) का दूसरा पैकेट तैयार करें।*

(viii) *सात मदों का तीसरा पैकेट तैयार करें।*

(ix) *सभी अन्य मदों का चौथा पैकेट तैयार करें।*

(x) *सीलबंद वोटिंग मशीन तथा सीलबंद निर्वाचन पत्रों के पैकेट को जमा कराने के लिए संग्रह केन्द्र तक वापसी यात्रा कार्यक्रम का पालन करें। संग्रह केन्द्र पर वोटिंग मशीन और अन्य पैकेटों को जमा कराना एवं रसीद प्राप्त करना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। नोट कर लें कि आपको आठ विभिन्न मदें सौंपनी होगी अर्थात-*

(क) *वोटिंग मशीन।*

(ख) *रिकार्ड मतों का लेखा और पेपर सील लेखे वाला लिफाफा।*

(ग) *पीठासीन अधिकारी की घोषणा वाला लिफाफा।*

(घ) *पीठासीन अधिकारी की डायरी वाला लिफाफा।*

(ङ) *विजिट शीट (दौरा विवरणी) वाला लिफाफा।*

(च) *पांच लिफाफों वाला पहला पैकेट, जिस पर "सांविधिक लिफाफा (*statutory covers*) लिखा हो"।*

(छ) *नौ लिफाफों वाला दूसरा पैकेट, जिस पर "गैर-सांविधिक लिफाफा (*non-statutory covers*) लिखा हो"।*

(ज) *निर्वाचन सामग्री की सात मदों वाला तीसरा पैकेट और*

(झ) *सभी अन्य मदों वाला चौथा पैकेट, यदि कोई हो।*

(xi) *निर्वाचन सामग्रियों को वापस करते समय आरओ के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारी को अलग से पीओ डायरी, मतपत्र लेखा फार्मेट* **17***-सी और मतदाता रजिस्टर* **17***-ए सौंपे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि ये फार्मेट गलत लिफाफे में सीलबंद नहीं किए गए हैं।*

(xii) *सभी सामग्रियों को जमा कराने पर आपकों रिटर्निंग अधिकारी से औपचारिक कार्य मुक्त* **(***रिलिविंग***)** *आदेश मिलेगा।*

(xiii) *ईपीआईसी के माध्यम से जिन्होंने मतदान किया है उन मतदाताओं और उपलब्ध कराई गई अनुपस्थित मतदाताओं की सूची में मतदाताओं द्वारा मतदान की सूचना तैयार करें।*

(xiv) *मतदान केन्द्र और चेक मेमों में आवश्यक मतदान सामग्रियों की सूची के लिए पीठासीन अधिकारी की हैंडबुक के अनुबंध-***1** *और अनुबंध-***2** *का संदर्भ लें।*

अनुबंध-I

पीठासीन अधिकारी-जांच सूची

मतदान केन्द्र के लिए मतदान सामग्री की सूची, जहां इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है।

1	कंट्रोल यूनिट	1
2	बैलटिंग यूनिट (यूनिटें)	1 (अभ्यर्थियों की संख्या पर आधारित)
3	मतदाता रजिस्टर (फार्म 17 ए)	1 बुक
4	मतदाता स्लिप	1600
5	निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियां	3
6	सीएसवी, यदि कोई हो	3
7	मत पत्र (निविदत्त मतों के लिए)	20
8	अमिट स्याही	10 सीसी प्रत्येक की 2 शीशी
9	कंट्रोल यूनिट के लिए एड्रेस टैग	5
10	बैलटिंग यूनिट के लिए एड्रेस टैग	4
11	विशेष टैग	3
12	ईवीएम के लिए ग्रीन पेपर सील	4
13	स्ट्रिप सील	3
14	रबर स्टैम्प तीर का क्रास चिह्न	1
15	स्टैम्प पैड (बैंगनी)	1
16	पीठासीन अधिकारी के लिए धातु सील	1
17	माचिस	1
18	पीठासीन अधिकारी की डायरी	1
19	विशिष्ट मार्क रबड़ स्टैम्प	1
20	डमी बैलेट यूनिट	1
21	मतदान दल के सभी सदस्यों के आईडी कार्ड	
22	फार्म	
	1. निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची	1
	2. अभ्याक्षेपित मतों की सूची (फार्म-14)	2
	3. दृष्टिहीन और शिथिलांग मतदाताओं की सूची (फार्म-14 ए)	2
	4. निविदत्त मतों की सूची (फार्म-17 बी)	2
	5. रिकार्ड मतों का लेखा (फार्म 17 सी)	10
	6. उपयोग किए गए पेपर सीलों का रिकार्ड	2
	7. अभ्याक्षेपित मत शुल्क जमा करने हेतु रसीद पुस्तिका	1 पुस्तिका
	8. एस, एसएचओ के लिए पत्र	4
	9. मतदान शुरू होने से पहले और मतदान समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा (भाग I से IV)	2
	10. अपने उम्र के बारे में निर्वाचक द्वारा घोषणा	2

	11. *निर्वाचकों की सूची जिन्होंने घोषणा देने/घोषणा देने से इंकार करने के पश्चात मतदान किया*	**4**
	12. *दृष्टिहीन और शिथिलांग मतदाताओं द्वारा घोषणा*	**10**
	13. *मतदान एजेंट के लिए पास*	**10**
	14. *विजिट शीट*	**2**
	15. *निर्वाचन क्षेत्र प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला पीठासीन अधिकारी की अतिरिक्त* **16** *बिंदु वाली रिपोर्ट के लिए प्रारूप*	**2**
23.	*लिफाफे*	
	1. *छोटे लिफाफों के लिए (सांविधिक कवर) (एसई-***8***)*	**1**
	2. *निर्वाचक नामावलियों की मार्कड प्रति के लिए (एसई-***8***)*	**1**
	3. *निर्वाचक नामावलियों की अन्य प्रतियों के लिए (एसई-***8***)*	**1**
	4. *निविदत्त मतपत्र और निविदत्त मतों की सूची के लिए*	**1**
	5. *मतदान शुरू होने से पहले और मतदान की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा के लिए (एसई-***7***)*	**1**
	6. *दर्ज मतों की लेखा के लिए (फार्म* **17** *सी) (एसई-***5***)*	**1**
	7. *अभ्यक्षेपित मतों की सूची के लिए (एसई-***5***)*	**1**
	8. *उपयोग नहीं किए गए और विकृत पेपर सील के लिए (एसई-***5***)*	**1**
	9. *मतदान एजेंट की नियुक्ति पत्र के लिए (एसई-***6***)*	**1**
	10. *दृष्टिहीन और शिथिलांग मतदाताओं की सूची के लिए(एसई-***5***)*	**1**
	11. *पीठासीन अधिकारी की डायरी की रिपोर्ट के लिए (एसई-***6***)*	**1**
	12. *निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए (एसई-***5***)*	**1**
	13. *रीसीप्ट बुक और जब्त नकदी के लिए (एसई-***6***)*	**1**
	14. *तुलना की घोषणा के लिए (एसई-***5***)*	**1**
	15. *छोटे लिफाफों (अन्य) के लिए (एसई-***7***)*	**1**
	16. *मतदाताओं के हस्ताक्षर वाले मतदाता रजिस्टर के लिए (फार्म* **17** *ए) (एसई-***8***)*	**1**
	17. *अन्य संबंधित कागजात के लिए (एसई-***5***)*	**1**
	18. *छोटे लिफाफों के लिए (एसई-***8***)*	**1**
	19. *नियम* **40** *के तहत पीठासीन अधिकारी की संक्षिप्त रिकार्ड के लिए लिफाफा (एसई-***6***)*	**1**
	20. *सादे लिफाफे (एसई-***7***)-2 (एसई-***8***)-3*	**5**
	21. *उपयोग नहीं हुए मत पत्र के लिए (एसई-***7***)*	**5**
	22. *किसी अन्य कागजात के लिए जिसे आर.ओ. ने सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्णय लिया है।*	**1**
	23. *अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त विशेष टैग के लिए लिफाफा (एसई-***7***)*	**1**
	24. *अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील के लिए लिफाफा(एसई-***7***)*	**1**
	(जहां लिफाफे का आकार छोटा हो, पैकिंग पेपर का उपयोग किया जा सकेगा और जहां संबंधित मुद्रित लिफाफा उपलब्ध नहीं हो तो सादे लिफाफे का उपयोग किया जा सकेगा तथा इसे लाल स्याही से दर्शाया जाएगा।	
24.	*साइन बोर्ड*	

	(क) पीठासीन अधिकारी	
	(ख) मतदान अधिकारी	
	(ग) प्रवेश	
	(घ) निकास	
	(ङ) मतदान एजेंट	
	(च) नियम 30(1)क के अनुसार यथा अपेक्षित विविध नोटिस जिनमें विशिष्ट क्षेत्र आदि विनिर्दिष्ट किया गया हो।	
25.	स्टेशनरी (लेखन सामग्री)	
	1. सामान्य पेंसिल	1
	2. बॉल पेन	3 नीले+1 लाल
	3. खाली कागज	8 शीट
	4. पिन	25
	5. सीलिंग वेक्स	6 स्टीक
	6. मतदान कंपार्टमेंट के लिए सामग्री	2+2=4
	7. गम पेस्ट/गोंद	1 बोतल
	8. ब्लेड	1
	9. मोमबत्ती	4
	10. पतला ट्विन धागा	20 मीटर
	11. मेटल रूल	1
	12. कार्बन पेपर	3
	13. तेल आदि हटाने के लिए कपड़ा अथवा रेग	3
	14. पैंकिंग पेपर	2 शीट
	15. अमिट स्याही बोतल के लिए कप/खाली टीन/प्लास्टिक बॉक्स	1
	16. ड्रॉइंग पिन	24
	17. जांच सूची	2
	18. रबड़ बैंड	20
	19. सैलो टेप	1
	20. माचिस	1
	सेक्टर अधिकारी को पीठासीन अधिकारी द्वारा अलग से वापस की जाने वाली सामग्री की सूची, जिसे सेक्टर अधिकारी मुख्य निर्वाचक अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा कराएंगें- (1) एरो क्रास मार्क रबर स्टैंप (2) पीठासीन अधिकारी का मेटल सील (3) स्टेशनरी बैग जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे- (i) सेल्फ इंकिंग पैड (ii) मतदान कक्ष के लिए सामग्री (iii) मेटल रूल (iv) अमिट स्याही के लिए प्लास्टिक बॉक्स (v) सभी अन्य अप्रयुक्त मदें।	

अनुबन्ध-2

पीठासीन अधिकारियों के लिए चेक मेमो

मद	की जाने वाली कार्रवाई	टिप्पणियाँ
1	रिटर्निंग अधिकारी से सभी संबंधित निर्देशों को लेना और कब्जे में रखना।	क्या प्राप्त किया गया और रखा गया है?
2	मतदान दल के अन्य सदस्यों के साथ परिचय और उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाना।	क्या ऐसा किया गया है?
3	निर्वाचन सामग्री, एएसडी मतदाता सूची, निर्वाचकों की वर्णानुक्रमिक सूची प्राप्त करना	क्या यह सुनिश्चित किया गया कि सभी निर्वाचन सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा तथा संख्या में प्राप्त किया गया है?
4	मतदान मशीन की बैलटिंग यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट, निर्वाचक नामावली की चिह्नित (मार्कड) प्रतियां, ऐरो क्रॉस मार्क रबड़ स्टैम्प, ग्रीन पेपर सील, मतदाता रजिस्टर, मतदाता स्लिप आदि की जांच।	क्या ऐसा किया गया?
5	मतदान केन्द्र में मतदाताओं के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास।	क्या सुनिश्चित किया गया है?
6	मतदान क्षेत्र तथा नियत निवाचकों की संख्या और निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची की प्रति भी दिखाने वाला एक नोटिस लगाना।	क्या नोटिस लगाया गया है?
7	कंट्रोल यूनिट और बैलटिंग यूनिट को आपस में जोड़ना तथा बैटरी का स्विच ऑन करना।	क्या ऐसा किया गया है?
8	मोक नियंत्रण करना।	क्या ऐसा किया गया है?
9	कंट्रोल यूनिट के परिणाम कम्पार्टमेंट पर ग्रीन पेपर सील को लगाना।	क्या ऐसा किया गया है?
10	कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन को सील करना।	क्या ऐसा किया गया है?
11	मतदान की शुरूआत पर की जाने वाली घोषणा।	क्या ऐसा किया गया है?
12	मतदान शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की गोपनीयता के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी एक्ट) 1951 की धारा 128 के प्रावधानों को पढ़ना।	क्या ऐसा किया गया है?
13	बैलटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट तथा ग्रीन पेपर सील की क्रम संख्या को नोट करने हेतु मतदान एजेंटों को अनुमति देना।	क्या अनुमति दी गई है?
14	बांए तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही लगाना और क्या मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त किया गया (फार्म 17 ए)।	क्या उपयुक्त रूप से किया गया है?
15	अल्पायु निर्वाचकों से घोषणा।	क्या प्राप्त की गई है?
16	पीठासीन अधिकारी की डायरी का रखरखाव।	क्या घटनाओं को समय-दर-समय और जब भी वो हुई, दर्ज किया गया है?
17	दौरा शीट तैयार करना।	क्या तैयार की गई है?
18	नियत समय में मतदान समाप्त करना।	क्या ऐसा किया गया है?
19	फार्म 17 सी में दर्ज मतों के लेखे-जोखे की प्रतियाँ सभी मतदान अभिकर्ताओं को देना।	क्या सत्यापित किया गया है?
20	मतदान की समाप्ति पर की जाने वाली घोषणा।	क्या ऐसा किया गया है?
21	वोटिंग मशीन और निर्वाचन पत्रों की सीलिंग।	क्या निर्देशानुसार ऐसा किया गया है?